(वाद सं0– 483/4/24/2022)

19.09.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, डिम्पल कुमारी उर्फ डिम्पल देवी के पति, जितेन्द्र कुमार, की सामूहिक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरान्त बिहार सरकार के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र के आलोक में अनुग्रह अनुदान राशि को मृतक की माता, धनिया देवी, को भुगतान न कर उसकी पत्नी व पुत्र को मृतक का आश्रित मानकर अनुग्रह अनुदान के भुगतान से सम्बन्धित है।

उक्त पर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक–1339 दिनांक–27.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सामुहिक सड़क दुर्घटना में आवेदिका के पति स्व0 जितेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक–20.11.2018 को होने के फलस्वरूप विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मृतक के आश्रित (1) श्रीमती धनिया देवी (माता), (2) श्रीमती डिम्पल कुमारी (पत्नी) एवं (3) श्री आयुष आर्य (पुत्र) को क्रमशः चेक संख्या–453319 दिनांक–10.06.2022, 453312 दिनांक–27.05.2022 एवं 453313 दिनांक–27.05.2022 द्वारा अनुग्रह अनुदान की कुल राशि 4,00,000–/ (चार लाख) रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः विभागीय पत्रांक–1016 दिनांक–14.03.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, आपदा प्रबन्धन शाखा, नालंदा के पत्रांक–1339 दिनांक–27.06.2022 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित स्थिति में इस मामले से आपदा प्रबन्धन विभाग को मुक्त करने की कृपा की जाय।’’

अब जबकि विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के परामर्श पर जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा मृतक के (03) तीनों आश्रितों को अलग–अलग कुल मिलाकर 04 लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ **जिला पदाधिकारी, नालन्दा के प्रतिवेदन** (11–07/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचनार्थ भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक